

मु.स. 41/24

विद्यादेवी V/S देवी सिंह सं.

19/9/24

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि यह मुल्. जा. पत्र श्री राजीव शर्मा SOM कथाना के विरुद्ध पेश किया गया था। श्रीके अब श्री राजीव शर्मा का स्थानान्तरण उपखण्डाधिकारी कथाना के पद से SOM भरतपुर के पद पर हो गया है इस कारण मुल्. प्रार्थना पत्र स्वतः ही उमावर्तीन हो जाता है।

अतः मुल्. किली प्रार्थना पत्र उमावर्तीन होने के कारण इसी स्तर पर रिवारिज किया जाता है पत्रावली कैसल कुमार हो बाद कार्यवाही दारिबल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर  
भरतपुर